न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 552/तीन/2014 विरूद्व आदेश दिनांक 30.8.2012 – पारित – व्दारा – तहसीलदार, धुवारा जिला छतरपुर – प्रकरण कमांक 84/अ–3/11–12

संतोषकुमार पुत्र रामलाल जैन
ग्राम धुवारा तहसील धुवारा,
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूध्द

1– हरीशचंद पुत्र नाथूराम जैन
ग्राम धुवारा तहसील धुवारा,
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

2– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री अशोक कुमार जैन

अनावेदक कमांक –1 के अभिभाषक एल0एस0पाटस्कर

आदेश

(आज दिनांक 2–7 – 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, धुवारा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 84 अ 3/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30–8–12 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक–1 ने तहसीलदार धुवारा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की धुवारा स्थित भूमि सर्वे कमांक 2745/1/1 रकबा 0.443 एंव 2734/2/2 रकबा 0.337 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उसके सहस्वामित्व की भूमि है जिसका नक्शा तरमीम किया जावे। तहसीलदार धुवारा ने दिनांक 23.3.12 को राजस्व निरीक्षक धुवारा को तदाशय के निर्देश प्रदान किये। राजस्व निरीक्षक धुवारा

ने पटवारी हलका नंबर 3 को उक्त कार्यवाही हेतु तैनात किया। पटवारी हलका नंबर 3 ग्राम धुवारा ने पड़ौसी कास्तकारों को सूचना पत्र जारी करके दिनांक 26—6—12 को कब्जा एंव स्वात्वानुसार नक्शा में पेन्सिल से सीमायें अंकित कर अक्स एंव पंचनामा तैयार किया तथा पत्र दिनांक 4—7—12 से तहसीलदार धुवारा को राजस्व निरीक्षक धुवारा के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार धुवारा ने इस पर आदेश दिनांक 30.8.12 पारित किया तथा पटवारी ग्राम धुवारा व्दारा प्रस्तुत तरमीम को स्वीकार किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर अनावेदक के तर्क श्रवण किये, जिस पर आदेदक के अभिभाषक ने लिखित जवाव प्रस्तुत किया। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ यह निगरानी तहसीलदार धुवारा के आदेश दिनांक 30—8—12 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 30.1.14 को अर्थात आदेश पारित होने के लगभग एक वर्ष चार माह प्रस्तुत की गई है । प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगभग 17 दिन का समय लगा है अर्थात निगरानी अवधि—वाह्य है किन्तु तहसीलदार के प्रकरण में पटवारी व्दारा मेढ़िया कास्तकारों को जारी व्यक्तिगत सूचना पत्र के अवलोकन से परिलक्षित है कि सूचना पत्र किस दिनांक को जारी किया गया, तिथि अंकित नहीं है साथ ही सूचना पत्र पर सुखानन्द, रविन्द्र सोनी, हरिशचन्द्र के हस्ताक्षर हैं अर्थात आवेदक संतोष पुत्र रामलाल जैन के हस्ताक्षर नहीं है तात्पर्य यह है कि इसे व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई और न ही ग्राम में सार्वजनिक इस्तहार का प्रकाशन किया गया है और न ही तदाशय की मुनादी कराई गई, जिसके कारण अनावेदक के अभिभाषक व्दारा निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने वावत् की गई आपत्ति मानने योग्य नहीं है। अतएव आवेदक के अभिभाषक के अनुसार निगरानी

प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब जानकारी के अभाव में सदभाविक पाये जाने से क्षमा योग्य है।

5/ विचाराधीन निगरानी में यह तथ्य विचारणीय है कि तहसीलदार व्दारा नक्शा तरमीम हेतु पारित आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी पोषणीय है अथवा नहीं ?

1. म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 70 – सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नकमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति – टिप्पणी (आ) – बंदोवस्त अधिकारी की शक्तियॉ प्रदत्त – बंदोवस्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर कर सकेंगें तथा संहिता की धारा 90 की टिप्पणी (आ) (1) अनुसार कलेक्टर की ये शक्तियॉ तहसीलदारों को प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी इ (9) देखें।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आदेश 30.8.12 पारित किया है जो अपील योग्य आदेश है और आवेदक के पास तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलयोग्य पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर